न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चूरू

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार गौतम, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या – 2019/00098 दायर दिनांक 03.12.2019

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू –सायल–

बनाम

1. दुष्यन्त पुत्र प्रताप सिंह राठौड़, मै0 सत्यम डिपार्टमेंन्टल स्टोर, बस डिपो के सामने चूरू जिला चूरू।
2. रतन कुमार कसेरा पुत्र लालचन्द कसेरा, मै0 स्वदेशी ट्रेडिंग एजेन्सीज, 31 जैन मार्केट चूरू जिला चूरू।
3. कार्तिक कुलवाल पुत्र पराग कुलवाल, मै0 भगवती ट्रेडर्स, E-410B, ROAD NO-14 Near Delhi Rajasthan Transpot, Viswakarma Indestrial Area Jaipur - 302013
4. विकास भगवान कुवर पुत्र भगवान शंकर कुवर नोमिनी, मै0 निलॉनस इन्टरप्राईजेज प्रा0लि0, Nilones Enterprises Pvt Ltd Gut no-175/B-2 Utran, Tal. Erandol Dist. Jalgaon Maharastra - 425117

–गैरसायल–

परिवाद जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (।।)/51 एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रुल्स 2011

उपस्थित – 1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी वास्ते पैरोकार राज।

निर्णय दिनांक 19.04.2022

यह परिवाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार निम्नानुसार है :–

1. यह कि मै नागरमल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संम्पादन कर रहा हूं। और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाषित नोटिफिकेषन दिनांक 09.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेषक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राजस्थान जयपुर के आदेष दिनांक 17.11.2011 के अनुसार मुझें कार्य क्षेत्र जिला चूरू में आने वाला समस्त स्थानिय क्षेत्र आता है। अधिसूचना एवं आदेष की प्रतियां न्यायनिर्णयन के आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.02.2019 को 12:15 पी.एम. पर मै0 सत्यम डिपार्टमेंन्टल स्टोर, बस डिपा के सामनें चूरू,जिला चूरू पर पहुचा। वहां पर दुष्यन्त अपनी दुकान में मालिक की हैसीयत से पाया गया, दुकान में एक लकडी की रैंक में 500 ग्राम के 10 सील बन्द जार **Mixed Pickle(khana khazana) Brand Nilons** बेचने हेतु रखा पाया गया। मैने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया श्री दुष्यन्त से पुछने पर बताया कि मै **Mixed Pickle(khana khazana) Brand Nilons** एवं अन्य खादय पदार्थ बेचने का कार्य करता हूं।
3. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए कि प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री दुष्यन्त को देकर रसीद प्राप्त की फार्म नम्बर 5ए की प्रति न्यायनिर्णयान आवेदन के साथ संलग्न है।
4. **Mixed Pickle(khana khazana) Brand Nilons** में मिलावट का शक होने पर उसमें से 500gm के 4 सील बन्द जार **Mixed Pickle(khana khazana) Brand Nilons** वास्ते जांच नमूना खरीद किया। जिसकी कीमत विक्रेता श्री दुष्यन्त को 320/–रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर करवायें तथा उपस्थित गवाह श्री इस्लामूदीन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं
5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदषुदा **Mixed Pickle(khana khazana) Brand Nilons** नमूनें के चारों जारों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबल पर डी ओ के कोड एवं क्रमांक एल–2012 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्लीप संख्या नमूना लेने वाले का नाम दिनांक स्थान व खाद्य

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

पदार्थ की किस्म अकित की लेबल पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये चारो नमूनों के भागों को अलग अलग खाखी कागज मे लपेट कर दोनो सीराओं को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी ओ जिला चूरू की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एल–2012 नियमानुसार चारों नमूनों कें भागों पर राउण्ड टू बोटम गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूनें के भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूने क भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसर इस प्रकार करवाये पेपर स्लीप व रेपर दोनों पर आवें एवं खाखी पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करावें। चारों नमूनों के भागों पर नमूना संख्या, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ की किस्म अंकित कि गई एवं मैंने हस्ताक्षर कर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता और गवाह को पढा सुनाकर हस्ताक्षर करवायें एवं मैंनें हस्ताक्षर किए। चारों नमूनों के भागों को अपने कब्जे में लिया।

6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पर पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार कर नमूनें के एक भाग को आउटर कवर में मय फार्म नम्बर 6 की एक प्रति रखकर पुनः नमूना पैक किया एवं धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी लगाकर सील बन्द किया। एवं नमूने पर मुख्य विष्लेषक राज्य, केन्द्रीय प्रयोगषाला राजस्थान जयपुर का पता लिखकर नमूना संख्या एवं दिनांक डालकर एवं मेरे हस्ताक्षर कर राज्य केन्द्रीय प्रयोगषाला जयपुर में भिजवाया साथ में एक सील बन्द लिफाफें मे फार्म नम्बर 6 की 02 प्रतियां सील मोहर कर सील बन्द लिफाफे में अलग से भिजवाया। नमूना जमा कराने की रसीद एवं फार्म नम्बर 6 की प्रति जमा कराने रसीद न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। नमूनें के शेष दो भाग फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के साथ आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर तथा नमूनो का चौथा भाग अलग से आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर डी ओ मुख्य एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अग्रेषण पत्र कमांक–54 दिनांक 07.03.2019 प्राप्त हुआ। जिसके साथ खाद्य विष्लेषक राज्य, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगषाला राजस्थान जयपुर की रिपोर्ट संख्या एल.एस./ 317/एक्ट/2019/196 दिनांक 26.02.2019 प्राप्त हुई जिसमें विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खादय पदार्थ **Mixed Pickle(khana khazana) Brand Nilons** ,**मिसब्राण्डेड** होना पाया गया जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

8. मै0सत्यम डिपार्टमेंन्टल स्टोर, बस डिपा के सामनें चूरू नें माल खरीद के बिल की फोटो प्रति मै0 स्वदेषी ट्रेडिंग एजेन्सीज, 31, जैन मार्केट चूरू, की पेष की। मै0 स्वदेषी ट्रेडिंग एजेन्सीज नें माल खरीद के बिल की फोटो प्रति मै0 भगवती ट्रेडर्स, E-410B,ROAD NO-14 Near Delhi Rajasthan Transport,viswakarma Indestrial Area Jaipur कि पेष की। मै0 भगवती ट्रेडर्स नें माल खरीद के बिल की फोटो प्रति मै0 Nilons Enterprises Pvt Ltd Gut no-175/B-2 Utran,Tal. Erandol Dist. Jalgaon Maharastra की पेष की।

9. श्रीमान् अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ ने पत्र कमांक एफएसएसए/2019/460 दिनांक 21.11.2019 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णय आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया।

10. यह कि उक्त प्रकरण में दुष्यन्त वगैरह ने **मिसब्राण्डेड, Mixed Pickle(khana khazana) Brand Nilons** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत बागुल ने वकालतनामा पेश किया किन्तु अधिवक्ता और ना ही गैरसायल स्वयं उपस्थित आये। इसलिए गैरसायल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

खाध सुरक्षा अधिकारी रतनगढ ने बहस में कहा कि खाद्य पदार्थ **Mixed Pickle(khana khazana) Brand Nilons**, का सेम्पल नं. एल–2012 रिपोर्ट संख्या एल.एस./317/एक्ट/2019/196 दिनांक 26.02.2019 के अनुसार **मिसब्राण्डेड** पदार्थ पाया गया है जो खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन हुआ है। खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 में उल्लेखित शास्ति से गैरसायल को दण्डित किया जावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

परिवाद सं. 2019/00098

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम दुष्यंत पुत्र प्रताप सिंह राठौड़ आदि

खाध सुरक्षा अधिकारी रतनगढ को सुना गया। परिवाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया। चूंकि गैरसायल द्वारा बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ **Mixed Pickle(khana khazana) Brand Nilons** की रिपोर्ट संख्या एल.एस./317/एक्ट/2019/196 दिनांक 26.02.2019 से **मिसब्राण्डेड** (Under Section 3 (1) (zf)(c)(i) of FSS Act, 2006 it is Contravene of Regulation 2.2.2(2)(b) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011) होना पाया गया है। इस प्रकार गैरसायल के द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय का कारोबार करना परिवाद से साबित है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में गैरसायल को **मिसब्राण्डेड** खाद्य पदार्थ **Mixed Pickle (khana khazana) Brand Nilons** बेचने के कारण अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत गैरसायल संख्या 01 दुष्यन्त पुत्र प्रताप सिंह राठौड़ को 50,000/- रूपये (पच्चास हजार रूपये मात्र), गैरसायल संख्या 02 रतन कुमार कसेरा पुत्र लालचन्द कसेरा को 50,000/- रूपये (पच्चास हजार रूपये मात्र), गैरसायल संख्या 03 कार्तिक कुलवाल पुत्र पराग कुलवाल को 1,00,000/- रूपये (एक लाख रूपये मात्र) तथा गैरसायल संख्या 04 विकास भगवान कुवर पुत्र भगवान शंकर कुवर को 3,00,000/- रूपये (तीन लाख रूपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है तथा गैरसायलान् को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में पुनः खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन नहीं करें। गैरसायल उक्त राशि 15 दिवस के अन्दर अन्दर जरिये चालान बैंक में राज्य सरकार के बजट हैड-0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियाँ, (03)- खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा कराकर चालान की प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी को देवे अन्यथा खाध सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि गैरसायल द्वारा शास्ति राशि जमा नहीं करवाये जाने पर गैरसायल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/4

(लोकेश कुमार गौतम)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चूरु
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू